परिशिष्ठ–01

कार्यालय परियोजना अधिकारी

एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना डोंगरगांव जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक/707/मबावि/स्था./2026–27 **दिनांक 02.11.2026**

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन ब्लाक– 01 द्वित्तीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/**IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/** नवा रायपुर दिनांक 05/01/2026 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई– भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्दे"ाानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना डोंगरगांव अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्दों में कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के रिक्त पद पर नियुक्ति की जानी हैं। उक्त पद की भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाएं (उसी ग्राम/पारा/टोला की निवासी) ई–भर्ती पोर्टल **URL-https://aww.e-bharti.in/** में **दिनॉक 04.11.2026 से 19.11.2026 तक ऑनलाईन** आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की समस्त प्रक्रिया ई–भर्ती पोर्टल के user manual में दर्"ाित हैं, जिसका उपयोग करके आवेदन किया जा सकता है, निर्धारित तिथि के बाद व परियोजना कार्यालय या डॉक से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।

रिक्त पद विवरण इस प्रकार हैं :–

क्र.	केन्द्र का नाम	केन्द्र कमांक	ग्राम पंचायत/वार्ड तथा नगरीय निकाय का नाम	पद का नाम
1	खुज्जी 01	कमांक 01	खुज्जी	कार्यकर्ता
2	केसला 01	कमांक 01	केसला	सहायिका

आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएँ हैं :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगें।
2. यह पद पूर्णतः मानसेवी है तथा अ"ाासकीय पद हैं।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका के पद के लिए आयु 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेंगीं।(एक वर्ष से अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी। 1 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयु सीमा की छूट की पात्रता नहीं होगी)। ऐसी कार्यकर्त्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया हैं, उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
4. आवेदिका प्राथमिकता से उसी ग्राम की होगी। जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है या जहॉ पद रिक्त हैं आवेदिका उसी ग्राम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नालिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–

क. उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावें।

अथवा

ख. संबंधित ग्राम पंचायत के संरपंच तथा संचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहनें का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हों।

टीप :– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में काई ि"ाकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की तिथि तक) अनिवार्य होगी :–

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण/ग्रेड पद्धति मूल्यांकन पत्रक उत्तीर्ण

टीपः– कक्षा 8 वीं मूल्यांकन ग्रेड पद्धति होने पर प्रधान पाठक का रजिस्टर के मूल्यांकन पत्रक के अनुसार प्राप्तांक/ पूर्णांक/प्राप्त प्रतिशत् का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

6. आवेदन के साथ अंकसूची/प्रमाण पत्र सहित आव"यक सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित होना अनिवार्य हैं।
7. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे यह शपथ पत्र देना होगा कि छः महीने में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. विधवा एवं परित्यकता महिला को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी किन्तु तत्संबंध में सक्षम आदे"ा प्रस्तुत करना होगा।
9. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 2011 की जनगणना सर्वेक्षण में प्राप्त वचन सूकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा तथा परिवार ड्राप सूची की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के प"चात् कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. दावा–आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी। अभ्यार्थी प्राविधिक सूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक का अवलोकन करें, व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण पत्र सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन आवा–आपत्ति प्रस्तुत करें। इस अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावेगा।

(डॉ. वीरेन्द्र साहू)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना,
डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /708/ मबावि/स्था./2026–27 **डोंगरगांव, दिनांक 02/11/2026**

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत डोंगरगांव की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. माननीय सभापति/सदस्य महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य समिति जनपद पंचायत डोंगरगांव की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. सरपंच/सचित ग्राम पंचायत–**खुज्जी एवं केसला** की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास परियोजना डोंगरगांव की ओर सूचनार्थ। संप्रेषित।

(डॉ. वीरेन्द्र साहू)
परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना,
डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)